

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-४ / निदे०-पी०सी०आर०(विविध)-०२-१२-१३ / २०१५-११

केन्द्र प्रायोजित
योजना
(५०:५०)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
सीतामंढी ।

पटना, दिनांक - १०.११.१७

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में केन्द्र प्रायोजित योजना (५०:५०) के अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-१९८९, (संशोधन) अधिनियम-२०१५ एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-१९५५ के अधीन केन्द्रांश में ₹४०,००,०००/- (चालीस लाख रु०) एवं राज्यांश में ₹४०,००,०००/- (चालीस लाख रु०) अर्थात् कुल ₹८०,००,०००/- (अस्सी लाख रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में केन्द्र प्रायोजित योजना(५०:५०) के तहत विभागीय पत्रांक-५७ दिनांक-०४.०९.२०१७ द्वारा बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्रांश में ₹१२,११,९९,०००/- (बारह करोड़ ग्यारह लाख निनान्चे हजार रु०) एवं राज्यांश में ₹१२,११,९९,०००/- (बारह करोड़ ग्यारह लाख निनान्चे हजार रु०) अर्थात् कुल ₹२४,२३,९८,०००/- (चौबीस करोड़ तेईस लाख अन्तान्चे हजार रु०) मात्र की स्वीकृति दी गई है। इसी क्रम विभागीय पत्रांक-६० दिनांक-१५.०९.१७ द्वारा केन्द्रांश में ₹५,३०,५०,०००/- (पांच करोड़ तीस लाख पचास हजार रु०) एवं राज्यांश में ₹५,३०,५०,०००/- (पांच करोड़ तीस लाख पचास हजार रु०) अर्थात् कुल ₹१०,६१,००,०००/- (दस करोड़ एकसठ लाख रु०) मात्र एवं विभागीय पत्रांक- ७७ दिनांक- ३०.१०.१७ द्वारा केन्द्रांश में ₹२५,००,०००/- (पच्चीस लाख रु०) एवं राज्यांश में ₹२५,००,०००/- (पच्चीस लाख रु०) अर्थात् कुल ₹५०,००,०००/- (पचास लाख रु०) की राशि आवंटित की गई है। तदनुसार जिला कल्याण पदाधिकारी, सीतामंढी के पत्रांक-७३५/जि० क० दिनांक-०४.११.१७ से माँग के आलोक में केन्द्रांश में ₹४०,००,०००/- (चालीस लाख रु०) एवं राज्यांश में ₹४०,००,०००/- (चालीस लाख रु०) अर्थात् कुल ₹८०,००,०००/- (अस्सी लाख रु०) मात्र की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

२- इस राशि के लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के लिए पटना जिला को आवंटित राशि का व्यय पुलिस महानिरीक्षक(क०व०) अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।

३- इस राशि से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-१९८९, संशोधन अधिनियम-२०१५, नियम-१९९५ एवं (संशोधन) नियम-२०१६ एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-१९५५ के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध-१(नियम-१२(४)) के तहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ-साथ नियम-१२(४)(४६) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, सामुहिक बलात्कार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीडितों को पूर्वोक्त मदों के अधीन राहत अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष अत्याचार की तारीख से मृतक की प्रत्येक विधवा और अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम/नियम के तहत (i) पीडित/पीडता को राहत और पुनर्वास इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी। अत्याचार राहत अनुदान की राशि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-३८०८ दिनांक-०२ जून, २०१७ के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, २०१६ {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and and other Susidies, Benefits and Services) Act, 2016} के तहत लाभुकों के बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ कर RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

4- राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगे। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।


5- केन्द्रांश के लिए राशि मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-“2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0221-नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 1989-विषय शीर्ष-0221.33.02-मुआवजा विपत्र कोड सं०-44-2225012770221” पी०एफ० एम०एस० कोड 9488 तथा राज्यांश के लिए मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-“2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0321- नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989-विषय शीर्ष-0321.33.02-मुआवजा विपत्र कोड सं०-44-2225012770321 पी०एफ० एम०एस० कोड 9488 से विकलनीय है।

6- इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

7- इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31-04-2018 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

8- इस आवंटन की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिश्वासभाजन ,


(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।


ज्ञापांक-4 / निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३ / २०१५- 91 पटना, दिनांक- 20.11.17
प्रतिलिपि : 1-महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा / योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक, (क० व०) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना।

3- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / उप विकास आयुक्त, सीतामंठी / प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, तिरहुत / अवर सचिव, प्रभारी, बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / जिला कल्याण पदाधिकारी, सीतामंठी / आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक-4 / निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३ / २०१५- 91 पटना, दिनांक- 20.11.17
प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, सीतामंठी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।